अतार सिंह कौशिक

बनाम

सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, परिवहन विभाग एवं अन्य

11 अक्टूबर 2007

[ एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.]

सेवा कानून:

उधार विभाग में अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति अधिकारियों की वरिष्ठता पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक-परिवहन प्राधिकरण के सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्त -अभिनिर्धारित जो लोग समकक्ष पद पर मूल विभाग में वरिष्ठ थे, उन्हें प्रतिनियुक्त पद पर वरिष्ठ बने रहना चाहिए जब तक कि कोई वैधानिक मौजूद न हो इसके विपरीत नियम - इसके अलावा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि केवल कार्यकारी कैडर पर काम करने वाले कर्मचारी, और मंत्रालयिक कैडर में काम करने वाले नहीं, परिवहन विभाग में शामिल होने के हकदार थे - नियमों की उच्च न्यायालय द्वारा सही व्याख्या की गई है - स्थापना और प्रशासन नियम-आरआर. 3.1, 3.4.1 और 10.2(ii)

प्रतिवादी नं. 3 को 3.6.1988 को और अपीलकर्ता को 3.2.1990 को सहायक पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। दोनों को 12.8.1991 को परिवहन प्राधिकरण, एनसीटी, दिल्ली के सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन उधार विभाग में उनका अवशोषण अलग-अलग तिथियों पर हुआ, उनकी वरिष्ठता के संबंध में एक विवाद उत्पन्न हुआ जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि पार्टियों की वरिष्ठता होनी चाहिए पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के पद पर जो कि फीडर कैडर था, मूल विभाग में उनकी संबंधित वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। व्यथित होकर प्रभावित कर्मचारी ने तत्काल अपील दायर की ।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित: 1. यह स्वयंसिद्ध है कि जो लोग मूल विभाग में समकक्ष पद पर वरिष्ठ थे, उन्हें प्रतिनियुक्त पद पर वरिष्ठ बने रहना चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत कोई वैधानिक नियम मौजूद न हो। प्रासंगिक प्रावधानों का एक मात्र अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि मूल विभाग में नियमित आधार पर समान या समकक्ष कैडर में संबंधित कर्मचारियों की स्थिति परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है। दिनांक से वह कर्मचारी है जो प्रतिनियुक्ति पर पद संभाल रहा था एक अन्य प्रासंगिक कारक है। हालाँकि, यह भी प्रदान किया गया है कि जिस तिथि से उसे अपने मूल विभाग में समान या समकक्ष ग्रेड पर नियमित पद पर नियुक्त किया गया है, जो भी पहले हो,

पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा। नियमों की इसके अभिप्राय और अवधि को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा सही व्याख्या की गई है। सभी प्रासंगिक प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियमों की सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्याख्या की जानी आवश्यक है। इसके अलावा, नियमों के निर्माताओं को इसे निर्धारित करते समय सभी संबंधितों को न्याय देने का ध्यान रखना चाहिए। [पैरा 15] [81-एफ-एच; 82-ए]

उपनिरीक्षक रूपलाल एवं अन्य. बनाम उपराज्यपाल मुख्य सचिव, दिल्ली और अन्य के माध्यम से, [2000] 1 एससीसी 644, संदर्भित।

इंदु शेखर सिंह एवं अन्य। उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य. [2006] 8 एससीसी ई 129, अनुपयुक्त ठहराया गया।

'स्थापना और प्रशासन' पर स्वामी के मैनुअल का उल्लेख किया गया है।

जहां तक प्रतिवादी की दलील का संबंध हैमिनिस्टीरियल कैडर विजिलेंस में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था विभाग, इस पर कोई विवाद नहीं है कि पार्टियाँ काम कर रही थीं मूल विभाग में पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के रूप में। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल वर्गीकरण के उद्देश्य से, उन्हें मंत्रिस्तरीय या कार्यकारी संवर्ग से संबंधित बताया गया था। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि राज्य द्वारा अपने परिवहन विभाग में अवशोषण के उद्देश्य से कोई पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया था। इसके अलावा,

यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अकेले कार्यकारी कैडर में काम करने वाले कर्मचारी परिवहन विभाग में शामिल होने के हकदार थे। नियमों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिनियुक्ति के लिए केवल यही शर्त रखी गई थी कि संबंधित कर्मचारी सहायक पुलिस उपनिरीक्षक के संवर्ग में कार्यरत होना चाहिए। [पैरा 6, 8 और 11][76-जी-एच; 77-एफ-एच; 78-ए; 79-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4791/2007

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सी.डब्ल्यू.पी. 2003 की संख्या 6710 में निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 13.9.2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से नागिंदर राय, नरेश कौशिक, ललिता कौशिक और अमिता कालकट।

प्रतिवादियों के लिए पी.पी. खुराना, एम.के. सी भारद्वाज और अश्वनी भारद्वाज।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

एस.बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में प्रतिनियुक्तिवादियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता प्रश्न में है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित 13.9.2006 के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत

अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर की गई है। ट्रिब्यूनल के दिनांक 18.9.2003 के आदेश में विशेश्वर दयाल शर्मा द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसमें शामिल मामले के तथ्य की सराहना करने की दृष्टि से, हम यहां अपीलकर्ता बनाम प्रतिवादी नंबर 2 के अपेक्षित सेवा रिकॉर्ड के विवरण देख सकते हैं:

"वरिष्ठता सूची

ए.एस.आई. के रूप में पदोन्नति की तिथि

| | | |
|---|---|---|
| 1. इंद्रपाल सिंह | 01.01.1987 | |
| 2. मथुरा प्रसाद | 08.02.1988 | |
| 3. विश्वेश्वर दयाल शर्मा | 03.06.1988 | (प्रतिवादी) |
| 4. कर्तार सिंह | 29.06.1988 | |
| 5. रमेश चंद्र | 28.08.1989 | |
| 6. तारा प्रसाद | 28.08.1989 | |
| 7. अतर सिंह कौशिक | 08.02.1990 | (अपीलकर्ता) |
| 8. जोगिंदर सिंह | 30.01.1991" | |

3. निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता को एक कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1980 में उनकी पदोन्नति हुई; जबकि प्रतिवादी को 28.4.1982 को या उसके आसपास हेड कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन दोनों को सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया

गया, प्रतिवादी को 3.6.1988 को और अपीलकर्ता को 3.2.1990 को। इन दोनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन प्राधिकरण के सतर्कता विभाग में 12.8.1991 को प्रतिनियुक्त किया गया था।

4. इसमें कोई विवाद नहीं है कि कर्मचारियों के दोनों समूहों को परिवहन प्राधिकरण के सतर्कता विभाग में स्थायी रूप से समाहित कर लिया गया था। सी उक्त विभाग में अवशोषण पर प्रतिनियुक्तिवादियों की वरिष्ठता स्थापना और प्रशासन नियमों के खंड 3.1 द्वारा शासित होती है (स्वामी का मैनुअल देखें)। निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी को यहां अपीलकर्ता से पहले प्रतिनियुक्त किया गया था, हालांकि वह उससे एक महीने पहले विभाग में शामिल हो गया था।

5. उच्च न्यायालय ने विवादों का निर्धारण करते समय विभाग के रिकार्ड की जांच की। यह देखा गया कि ऐसा करने में, प्रासंगिक नियम, विशेष रूप से नियम 10.2(ii), जिसके संदर्भ में प्रशासनिक मंत्रालय को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि अवशोषण के लिए प्रस्तावित अधिकारी के पद पर पहले नियुक्त कोई अन्य प्रतिनियुक्ति नहीं थी, का पालन नहीं किया गया। उक्त नियमों के संदर्भ में, उधार लेने वाला विभाग आगे ई था यह प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति था और वह अवशोषण के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए इच्छुक नहीं था। उपर्युक्त प्रावधान के साथ-साथ स्थापना और प्रशासन नियमों (स्वामी के मैनुअल) में निहित अवशोषकों की वरिष्ठता के खंड

3.4.1 को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि एफ पार्टियों की वरिष्ठता मूल विभाग में समकक्ष ग्रेड में उनकी संबंधित वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए जो कि फीडर ग्रेड पुलिस के सहायक उप निरीक्षक का पद है।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नागेंद्र राय, अपील के समर्थन में, ईमानदारी से, प्रस्तुत करेंगे:

(1) तीसरा प्रतिवादी मंत्रिस्तरीय संवर्ग से संबंधित नहीं था के तहत सतर्कता विभाग में नियुक्ति के लिए पात्र हैं नियम;

(2) 28.5.1993 को अधिकारियों द्वारा पार्टियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित की गई थी, प्रतिवादी द्वारा दायर मूल आवेदन को सीमा से रोक दिया गया था; और

(3) प्रतिवादी क्रमांक 3 पद पर बना नहीं रह सकता था आदेश बी के निर्देशानुसार उनके प्रत्यावर्तन के बावजूद प्रतिनियुक्ति दिनांक 16.12.1991.

(4) उप-निरीक्षक रूपलाल एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में। बनाम उपराज्यपाल मुख्य सचिव, दिल्ली और अन्य के माध्यम से, [2000] I SCC 644, क्षेत्र में काम करता है, विवादित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

7. श्री पी.पी. खुराना दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील खुराना ने तर्क दिया:

1. प्रतिवादी संख्या 3 निर्विवाद रूप से अपीलकर्ता से वरिष्ठ था चूंकि अपीलकर्ता और अन्य उत्तरदाताओं का प्रवेश बिंदु अलग था;

2. जबकि अपीलकर्ता ने परिवहन विभाग के एक कांस्टेबल के रूप में सेवाओं में प्रवेश किया, प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रवेश किया एक हेड कांस्टेबल के रूप में सेवाएँ और, निर्विवाद रूप से, वह ई थे पहले सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया अपीलकर्ता और, इस प्रकार, सभी इरादों और आशयों के लिए वह वरिष्ठ था, और

3. यहां तक कि प्रतिवादी संख्या 3 को अपीलकर्ता से पहले परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से इसका कोई महत्व नहीं था।

8. हमारे सामने इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि संबंधित सभी कर्मचारी जो ट्रिब्यूनल के समक्ष मूल आवेदन और उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के पक्षकार थे, मूल विभाग में पुलिस के सहायक उप निरीक्षक के रूप में काम कर रहे थे। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि राज्य द्वारा अपने परिवहन विभाग में अवशोषण के उद्देश्य से कोई पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया था। इसके अलावा यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अकेले कार्यकारी कैडर में काम करने वाले कर्मचारी परिवहन विभाग में शामिल होने के हकदार थे। नियमों से, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित

एकमात्र शर्त यह थी कि संबंधित कर्मचारियों को सहायक पुलिस उप निरीक्षक के कैडर में काम करना चाहिए।

9. यह सच हो सकता है कि प्रतिवादी संख्या 3 को उसके मूल विभाग में वापस भेजने का निर्देश दिया गया था, लेकिन किसी न किसी कारण से उस पर अमल नहीं किया गया है। माना जाता है कि प्रत्यावर्तन के उक्त आदेश को लागू नहीं किया गया था। अपीलकर्ता को, हमारी राय में, इस समय, उस आधार पर या अन्यथा प्रतिवादी संख्या 3 के प्रतिनियुक्त पद पर अवशोषण पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, कहा गया प्रश्न अर्थात. परिवहन विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 की निरंतरता को ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष भी नहीं उठाया गया था और इस प्रकार, उसे हमारे सामने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

10. कार्यालय आदेश दिनांक 28.5.1993 जो निम्नलिखित शर्तों में है: "उपायुक्त पुलिस क्यू(1) दिल्ली द्वारा अनापत्ति जारी करने के अनुसरण में, पत्र संख्या 21610/सीबी-VI दिनांक 20.5.93 द्वारा और सहायक उप निरीक्षकों द्वारा परिवहन में उनके अवशोषण के लिए दी गई इच्छा के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विभाग, निम्नलिखित सहायक उप-निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से 1200-1800 रुपये के वेतनमान में उप-निरीक्षक (एनएफए) के रूप में समाहित किया जाता है। चूंकि सभी अधिकारी परिवहन में समाहित हैं विभाग आदेश जारी

होने के दिन से उनकी परस्पर वरिष्ठता पर रहेगी उनके नाम के आगे अंकित तिथि:-

| **क्र.सं.** | **नाम** | **नियुक्ति की आधिकारिक तिथि** |
|---|---|---|
| 1. | मथुरा प्रसाद | 17.03.1969 |
| 2. | कर्तार सिंह | 23.09.1969 |
| 3. | रमेश चंद्र | 29.06.1974 |
| 4. | तारा प्रसाद | 29.06.1974 |
| 5. | इंद्रपाल सिंह | 01.09.1978 |
| 6. | जोगिंदर सिंह | 02.06.1980" |
| 7. | श्री. वी.डी. शर्मा | 28.04.1982 |

हालाँकि, उपर्युक्त उप-निरीक्षकों (एन.एफ.) ने परिवहन विभाग, एनसीटी, दिल्ली सरकार में उनके अवशोषण की तिथि से दो साल के भीतर अपने मूल कार्यालय में वापस लौटने का विकल्प दिया था।"

11. ऐसा प्रतीत होता है कि केवल वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, उन्हें मंत्रिस्तरीय या कार्यकारी संवर्ग से संबंधित बताया गया था, लेकिन प्रतिनियुक्ति पर सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित योग्यताएँ थीं: (जैसा कि पृष्ठ 80 पर है)

12. परिपत्र पत्र दिनांक 10.5.1991 का प्रासंगिक भाग, जिसके आधार पर पार्टियों ने, अन्य लोगों के साथ, परिवहन विभागों में प्रतिनियुक्ति के लिए स्वेच्छा से इस प्रकार लिखा है:

"सहायक उप निरीक्षक की सेवा को भरने के लिए आवश्यक है परिवहन प्राधिकरण में उप-निरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर रु. 1200-1800 के वेतनमान पर निम्नलिखित योग्यता/अनुभव रखने वाले उपरोक्त पदों के लिए पात्र हैं:-

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

(2) मोटर वाहन कानून पर पर्याप्त ज्ञान।

(3) सभी प्रकार के वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव।

2. उपरोक्त योग्यता/अनुभव वाले एएसआई के स्वयंसेवकों को कृपया बुलाया जा सकता है और इच्छुक अधिकारियों के नाम इस मुख्यालय को भेजे जा सकते हैं। संलग्न प्रोफार्मा पर 20.5.91 तक सकारात्मक रूप से। प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशंसित अधिकारियों को किसी भी परिस्थिति में चयन से पहले या बाद में अपना नामांकन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

13. एफ की वरिष्ठता से संबंधित नियमों के खंड 3.1 और 3.4.1 स्थापना और प्रशासन पर स्वामी की नियमावली से आत्मसात निम्नानुसार पढ़ें:

"अवशोषकों की वरिष्ठता

3.1. केंद्र सरकार या केंद्र या राज्य सरकार के अन्य विभागों के अधीनस्थ अधिकारियों से केंद्रीय सेवा में अवशोषण द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे अवशोषण के लिए उनके चयन के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

सहायक के पद के लिए भर्ती नियम। उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक और निरीक्षक

| क्रम | पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | पद का पैमाना | चाहा गया चयन पद या गैर चयन पद | सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | उप निरीक्षक | 17 | ग्रुप सी गैर मंत्रालयिक अराजपत्रित | 1200-1300 | गैर चयन | 25 - 30 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक] 2. मोटर वाहन कानून का पर्याप्त ज्ञान व 3. 3 वर्ष (अस्पष्ट) सभी प्रकार के वाहन के लिए |
| शैक्षणिक व आयु संबधित योग्यताए जो सीधी भर्ती के लिए | | पदोन्नति की अवधि यदि कोई | भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती या पदस्थापन या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण और रिक्तियों का प्रतिशत को विभिन्न | | भर्ती के मामले में पदोन्नति / श्रेणियां / स्थानांतरण अस्पष्ट | यदि कोई डी0 सी0 पी0 है तो क्या संघटन है | भर्ती के लिए वे परिस्थितियां जिनमें डी0 पी0 सी0 लागू की जानी है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| दर्शायी गई है वह पदोन्नति पाने वाले के लिए लागू होगी | | नोटिसो द्वारा भरा जाना है | जिससे पदोन्नत / प्रतिनियुक्त/ स्थानातंरण किया जाये | | |
| लागू नहीं | 2 साल | 33-1/3 पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण न होने पर सीधी नियुक्ति, 66-2/33 पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण न होने पर सीधी नियुक्ति। | (अस्पष्ट) ई0 एन0 एफ0 निदेशालय की शाखा के सहायक उपनिरीक्षक 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति के साथ परिवहन का स्थानांतरणः एएसआई का पद धारण करने वाले व्यक्ति दिल्ली पुलिस / सीआरपीएफ/ आरपीएफ में और शैक्षिक होना और अन्य | ग्रुप सी डी.सी.पी. | लागू नहीं |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | योग्यताए<br>सीधी भर्ती के<br>लिए<br>निर्धारित। | | |

3.4.1 ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे शुरू में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया और बाद में समाहित कर लिया गया (अर्थात, जहां प्रासंगिक भर्ती नियम "प्रतिनियुक्ति/समावेशन" के लिए प्रदान करते हैं), उसकी वरिष्ठता उस ग्रेड में सामान्यतः गिनी जाएगी जिसमें वह समाहित है अवशोषण की तिथि. हालाँकि, यदि वह पहले से ही (समामेलन की तिथि पर) अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर समान या समकक्ष ग्रेड धारण कर रहा है, तो इस शर्त के अधीन, ग्रेड में ऐसी नियमित सेवा को उसकी वरिष्ठता तय करने में भी ध्यान में रखा जाएगा। कि उसे वरिष्ठता दी जायेगी -जिस तारीख को वह प्रतिनियुक्ति पर पद संभाल रहा है (या) - वह तिथि जब से उसे अपने मूल विभाग में समान या समकक्ष ग्रेड पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है। इनमें से जो भी पहले हो।"

14. अस्थायी वरिष्ठता सूची केवल 19.6.1998 को प्रसारित की गई थी। केवल जब अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रसारित की गई थी, तब मूल आवेदन दायर किया गया था, हालांकि अपीलकर्ता को बाद की तारीख में उक्त मूल आवेदन में एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। इसके अलावा, हम देख सकते हैं कि उक्त प्रश्न अब पूरी तरह से अकादमिक है क्योंकि वरिष्ठता सूची केवल 2002 में प्रकाशित की गई थी। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने भी वरिष्ठता सूची निर्धारित करने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिसके आधार पर अब एक नई वरिष्ठता तय की गई है। सूची प्रकाशित की जानी है, सीमा का प्रश्न सभी महत्व खो देता है।

15. उक्त प्रावधानों का एक मात्र अवलोकन यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि मूल विभाग में नियमित आधार पर समान या समकक्ष कैडर में संबंधित कर्मचारियों की स्थिति परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है। वह तारीख जिससे कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पद संभाल रहा था, एक अन्य प्रासंगिक कारक है। हालाँकि, यह भी प्रदान किया गया है कि जिस तिथि से उसे अपने मूल विभाग में समान या समकक्ष ग्रेड पर नियमित पद पर नियुक्त किया गया है, जो भी पहले हो, पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा इसके अभिप्राय और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नियमों की सही व्याख्या की गई है। सभी प्रासंगिक प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियमों की सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्याख्या की जानी

आवश्यक है। इसके अलावा, नियमों के निर्माताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए सभी संबंधितों को न्याय देने के लिए इसे लागू करना। यह स्वयंसिद्ध है कि जो लोग मूल विभाग में समकक्ष पद पर वरिष्ठ थे, उन्हें प्रतिनियुक्त पद पर तब तक वरिष्ठ बने रहना चाहिए जब तक कि कोई इसके विपरीत वैधानिक नियम या प्रावधान न हो।

16. रूपलाल (उपर्युक्त) में ही, श्री राय ने मजबूत बी को रखा निर्भरता, इस न्यायालय ने राय दी:

"इसलिए, यह उम्मीद करना उचित है कि जब एक प्रतिनियुक्ति अधिकारी की सेवा स्थानांतरित विभाग में समाहित करने की मांग की जाती है तो उसने निश्चित रूप से यह उम्मीद की होगी कि मूल विभाग में उसकी वरिष्ठता को गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में, यह वास्तव में कर्तव्य था उत्तरदाताओं को, यदि विवादित ज्ञापन में निर्धारित सभी शर्तें ऐसे व्यक्ति पर लागू होती हैं, तो उन्हें पूरी निष्पक्षता से, उनकी सेवाओं को अवशोषित करने से पहले ज्ञापन में दी गई शर्तों के बारे में प्रतिनियुक्ति को अवगत कराना होगा, ताकि ऐसे प्रतिनियुक्तिकर्ता के पास विकल्प हो। दिल्ली पुलिस में स्थायी समावेशन स्वीकार करें या नहीं।"

17. पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा इंदु शेखर सिंह और अन्य में विचार किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, [2006] 8 एससीसी 129, श्री राय द्वारा भरोसा किया गया, जिसमें कहा गया था:

"इससे पहले उल्लिखित निर्णय, एक कानून बनाते हैं कि पिछली सेवाओं को केवल दो स्थितियों में वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा: (1) जब वरिष्ठता पर विचार करने का निर्देश देने वाला कोई नियम मौजूद हो; और (2) जहां भर्तियां की जाती हैं विभिन्न स्रोतों से, संबंधित कर्मचारियों की पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए एक नियम बनाना उचित होगा।"

उक्त मामले का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

18. इसलिए, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। इसे तदनुसार लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। वकील की फीस रुपये निर्धारित की गई। 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र)।

आर.पी.

अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ओम प्रकाश नायक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।